

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यजीव बाघ के शव को अवैधानिक तरीके से नष्ट कर साक्ष्य मिटाने के अपराधिक कृत्य करने वाले आरोपी शासकीय सेवक की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय वारासिवनी जिला बालाघाट से निरस्त

**प्रेस विज्ञप्ती (79/25, दिनांक 05.12.2025)**

वन वृत्त बालाघाट के परिक्षेत्र लालबर्दा दक्षिण बालाघाट के अंतर्गत वन्यप्राणी बाघ के शव को परिक्षेत्र सहायक एवं वनरक्षक के निर्देश पर 06 सुरक्षा श्रमिकों के द्वारा जंगल में ही अवैधानिक तरीके से जला दिया गया। जो कि प्रथम दृष्टया वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2022) की धारा 39 (1), 39(3), 39 (5) के तहत जारी "वन्य पशु वस्तु का वन्यजीव निपटान नियम 2023", 48(A) एवं 52के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है। उक्त आपराधिक कृत्य में संलिप्त समस्त 08 आरोपियों (जिसमें से 02 शासकीय सेवक) के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16036/06 दिनांक 02.08.25 पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण का हस्तांतरण दिनांक 05.08.25 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर इकाई को किया गया।

दिनांक 02.11.2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर जबलपुर ग्वारीघाट नर्मदा नदी के पास से कार्यवाही करते हुये प्रकरण में फरार आरोपी टीकाराम हिनोते पिता मुंशी हिनोते निवासी बालाघाट को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. शिवकुमार धुर्वे पिता सुरपात धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्दा जिला बालाघाट
2. देव सिंह कुम्भरे पिता गनपत सिंह कुम्भरे निवासी बोरीटोला, लालबर्दा जिला बालाघाट
3. शैलेश धुर्वे पिता ज्ञानसिंह धुर्वे निवासी नवेग्राम, लालबर्दा जिला बालाघाट
4. हरिलाल एड़पाचे पिता सितकुर एड़पाचे निवासी चितालटोला, लालबर्दा जिला बालाघाट
5. अनुज सिरसाम पिता मिठूनसिंह सिरसाम निवासी टेकाडी, लालबर्दा जिला बालाघाट
6. मानसिंह सलामे पिता दीपसिंह सलामे निवासी खैरगोंडी, लालबर्दा जिला बालाघाट
7. टीकाराम हिनोते पिता मुंशी हिनोते निवासी बालाघाट
8. हिमांशु घोरमारे पिता डुलचंद घोरमारे निवासी बालाघाट

प्रकरण में शामिल आरोपी शासकीय सेवक (बर्खास्त) टीकाराम हिनोते, वनपाल द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय वारासिवनी जिला बालाघाट में प्रथम जमानत याचिका BA 320/2025 दायर की गई जिसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर द्वारा की गई सटीक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो व अपराध की गंभीरता प्रकरण में तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी शासकीय सेवक की जमानत याचिका निरस्त की गई। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी  
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)  
(कक्ष- एसटीएसएफ)  
मध्यप्रदेश, भोपाल